**GST Hindi Update on extension of due date of Annual return and filing of nil return through SMS**

1. COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 41/2020-Central Tax Dated 05.05.2020 जारी किया है उसमें F.Y.2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न (GSTR-9) दाखिल करने की दिनांक को 30 सितंबर, 2020 तक एक बार और बढ़ा दिया है। यह नोटिफिकेशन section 44(1) तथा Section 80 के तहत issue किया गया है। Section 44(1) of CGST Act, 2017 मैं annual return ही फाइल होता है। इससे पहले सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन नंबर 15/2020-Central Tax dated 23.03.2020 मैं वार्षिक रिटर्न (GSTR-9) दाखिल (Filed) करने की तारीख 30 जून, 2020 थी। Reconcilation statement 9-C को दाखिल करने की तिथि नहीं बढ़ाई गई है। Section 44(2) मैं Reconcilation statement 9-C file करना होता है।इससे एक doubt पैदा हो हो गया कि Reconcilation statement file करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 ही है। परंतु reconciliation statement 9C Balance Sheet और Annual return को देखकर कर ही भरा जाता है। Section 44(2) की language भी यही दर्शाती है । अतः इसकी अंतिम तिथि भी 30.06.2020 हो गई है। CBIC की website पर नोटिफिकेशन 41/2020 के सामने भी यह लिखा है कि GSTR-9 और GSTR-9C की अंतिम तिथि 30.06.2020 तक स्थगित कर दी गई है। सरकार के इस कदम के लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं।

2. इसके साथ ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) और लघु संदेश सेवा (SMS) के माध्यम से GSTR-3B फाइल करने सुविधा प्रदान कर दी गई है। इस कदम का उद्देश्य माल और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत Return फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। एसएमएस (SMS) के माध्यम से भी GST Nil रिटर्न को फाइल करने की प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है। साथ में कंपनियों द्वारा फाइल किए जाने वाले रिटर्न DSC से ही भरे जाते थे। अब उसको EVC द्वारा OTP लेकर भी भर सकते हैं।

3. जीएसटीएन ने जीएसटी रिफंड पर फर्जी संदेशों पर और करदाताओं को जीएसटी रिफंड पर सुरक्षित संदेशों से बचाने के लिए 03 मई, 2020 को एक चेतावनी जारी की है। चेतावनी मैं FRAUD वेबसाइट https://onlinefilingindia.in से सावधान रहने को कहा गया है और कुछ धोखाधड़ी वाले संदेशों को व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस पर

प्रसारित किया जा रहा है, जो जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया का दावा कर रहे हैं। साथ ही व्यक्तिगत और बैंक विवरणों की जानकारी नहीं देने के बारे में बताया गया है। अगर उन्होंने जानकारी दी तो न केवल करदाता को वित्तीय नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि इस तरह से उनके व्यक्तिगत डेटा को भी चोरी किया जा सकता है। सरकार हर कदम पर करदाताओं के साथ है तथा उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो इसके प्रति पूरी तरह जागरूक है तथा करदाताओं को भी सावधान कर रही है।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.